Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 27 बुधवार, फरीदाबाद, 16-31 दिसंबर, 2009 फोन : -2410196,9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

कायर बनी पुलिस पर हावी होते गुंडा तत्व

बुढ़िया नाले पर हवलदार पिटा, सेक्टर–7 चौकी का रोजनामचा फ़ेंका

फ़रीदाबाद (म.मो.) भीगी बिल्ली की भूमिका में आ चुकी पुलिस पर गुंडा तत्व पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, उन्हें पुलिस एवं कानून का कतई कोई खौफ़ नज़र नहीं आता।

दिनांक 27 नवम्बर को सेक्टर–7 की मार्केट में स्थित रामा ढाबे पर रात करीब साढ़े दस बजे नशे में लड़खड़ाते चार शराबी पहुंचे और खाने की मांग की। शराबियों से किनाराकशी करने के लिए मशहूर ढाबा मालिक ने जब उन्हें खाना खत्म होने की बात कही तो वे तैश में आ गये। कहासुनी से मारपीट तक बात पहुंची तो शराबियों में से एक ने अपने आप को वकील बताते हुए अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चला कर ढाबे वाले को डराना चाहा। लेकिन वे डरे नहीं और चार में से दो को रिवाल्वर सहित दबोचने में कामयाब हो गये। तुरंत पुलिस को बुला कर रिवाल्वर सहित दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस जब तक इन दोनों को ले कर चौकी में पहुंची, तब तक शराबियों के 20–30 साथी और भी चौकी में पहुंच गये। इनमें से अधिकांश अपने आप को वकील बता रहे थे। इन्होंने अपने दो साथियों को चौकी में लाने का तो विरोध किया ही, साथ ही ढाबे वालों पर खाना न खिलाने और 'बदतमीजी' करने का आरोप भी लगाया। धीरे–धीरे विरोध के स्वर इतने ऊंचे होते चले गये कि उन्होंने मेज़ पर रखा पुलिस का रोज़नामचा ही उठा कर फेंक दिया।

उधर ढाबे वालों की ओर से भी 20–30 स्थानीय नागरिक वहां पहुंच गये तो पूरे हंगामे की स्थिति बन गयी।

एसएचओ के छुट्टी पर होने के चलते थाना शहर बल्लबगढ़ के एसएचओ व आसपास की अन्य चौकियों से अतिरिक्त पुलिस बल को भेज कर स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। लेकिन मजे की बात यह रही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस गुंडा तत्वों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज करने का साहस नहीं जुट पाई।

अगले दिन जब ढाबे वालों के साथ स्थानीय नागरिकों ने थाने में जा कर एसएचओ पर दबाव बनाया, तब जा कर कहीं भादंसं की धारा 307, 506, 34 आदि के तहत मुकदमा नं. 505 दर्ज किया गया। यहां एक और मज़े की बात यह रही कि मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे कर एसएचओ खुद थाना छोड़ कर चला गया तथा चौकी इन्चार्ज मोबाइल बंद कर के बाथरूम में जा बैठा। ऐसे में एक नये–नये हवलदार से थानेदार बने व्यक्ति की कलम से केस दर्ज करवाया गया जो उसी वक्त हाई कोर्ट चंडीगढ़ से लौटा था। कितने 'बहादुर' हैं ये पुलिस अधिकारी! ये सभी एसएचओ और चौकी इन्चार्ज लगने के लिए तो कितनी–कितनी सिफ़ारिशें लगवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और जब कोई काम का वक्त आता है तो छिपते फ़िरते हैं।

काबिले गौर बात यह भी है कि 25 घंटे की देरी से दर्ज हुए इस मुकदमे में पुलिस ने खुद अपने साथ चौकी में हुई बदतमीज़ी की कोई धारा नहीं लगाई, बल्कि शिकायतकर्ता की शिकायत को कमज़ोर करने की नीयत से उसकी इस दरख्वास्त को बदलवाने का प्रयास किया जो उसने रात को घटना के तुरंत बाद चौकी में लिख कर दी थी। एसएचओ नहीं चाहता था कि शिकायत कर्ता यह लिख कर दे कि उसने दो गुंडों को हथियार सहित पकड़ कर रात में ही पुलिस के हवाले कर दिया था।

शेष पेज 2 पर

अदालती नाटकबाज़ी का एक नमूना

फ़रीदाबाद (म.मो.) एक स्थानीय अदालत के प्यादे एस.एन. त्यागी द्वारा कोर्ट को ग़लत रिपोर्ट देने के मामले में दूसरे पक्ष ने प्यादे के साथ–साथ ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश तथा राज्य सरकार को भी पार्टी बनाकर सम्मन जारी करा दिए, जिसके अनुसार 2 दिसंबर को इन तीनों को एक स्थानीय ट्रायल कोर्ट में हाज़िर होना था। इस तारीख पर प्यादा तो हाजिर हो गया लेकिन शेष दोनों की ओर से कोई भी हाज़िर नहीं हुआ। सम्मनों की तामील भी क्योंकि न्यायिक परिसर में ही होनी थी, इसलिए तामील न होने का कोई बहाना भी नहीं चल सकता था। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सम्मन तामील हो जाने के बावजूद हाज़िर न होने वाले के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने का नियम है। लेकिन अपने ही ज़िला जज तथा सरकार के विरुद्ध यह नियम कानून लागू करने की हिम्मत ट्रायल कोर्ट नहीं जुटा पाई, लिहाजा तारीख पर तारीख दे दी गई तथा पुनः सम्मन जारी हो गए।

> **"कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सम्मन तामील हो जाने के बावजूद हाज़िर न होने वाले के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने का नियम है। लेकिन अपने ही ज़िला जज तथा सरकार के विरुद्ध यह नियम कानून लागू करने की हिम्मत ट्रायल कोर्ट नहीं जुटा पाई, लिहाजा तारीख दर तारीख दे दी गई।"**

पूरे मामले की गहराई में जाने पर पता लगा कि सेक्टर–9 की एक व्यवसायिक इमारत रेखा रानी के नाम थी। मायर नाम के एक व्यक्ति ने तत्कालीन सीजीएम (जे.बी. गुप्ता) की कोर्ट में केस डाला कि रेखा ने वह इमारत उसे बेचने का इकरारनामा करके किसी और को बेच दी। कोर्ट ने मायर के हक में फ़ैसला दे कर अपने आदेश से मायर के नाम रजिस्ट्री करा दी। जबकि रेखा कोर्ट में यह बयान दे गयी थी कि उसने मायर से कोई इकरारनामा नहीं किया है और उसने वह इमारत आशा शर्मा, मधु शर्मा, रेखा शर्मा, करमबीर वशिष्ठ, सुरेश व बलबीर आदि को बेच कर रकम प्राप्त कर ली है व उनके नाम रजिस्ट्री करा दी है।

इस सबके बावजूद तत्कालीन सीजेएम कोर्ट ने उक्त खरीददारों को पार्टी बनाने व तलब करने की बजाय सीधे मायर के नाम रजिस्ट्री करा दी। इतना ही नहीं, रेखा से कब्ज़ा लेकर मायर को दिलाने के भी आदेश कर दिए। इस आदेश की पालना के लिए बरसों तक कई प्यादों को भेजा जाता रहा लेकिन सब दाएं–बाएं करके निकल गए। परंतु 2006 में एस.एन. त्यागी ने कोर्ट को रिपोर्ट दे दी कि उसने रेखा से कब्ज़ा लेकर मायर को दे दिया। जबकि वास्तव में रेखा के पास कब्ज़ा तो था ही नहीं। कब्ज़ा तो उक्त खरीददारों के पास था, जिनके नाम रेखा पहले ही कोर्ट को बता आई थी। प्यादे की उक्त शैतानी के बाद मौके पर मायर की ओर से आए दबंगों ने जबरा जबरी कब्ज़ा करने की कोशिश की

शेष पेज 2 पर

मात्र एक दिनाकरण पर ही महाभियोग क्यों?

नई दिल्ली (म.मो.) न्यायविदों एवं बड़े वकीलों के नेतृत्व में बनी एक न्यायिक सुधार कमेटी के कन्वीनर प्रशांत भूषण ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरण के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल व लंबी होती है कि इसे चलाने वाले भले ही थक हार जाएं लेकिन दोषी का इसमें प्रायः कुछ नहीं बिगड़ता, हां उसकी 'मशहूरी' जरूर हो जाती है। जिनको उसके 'महान्' कारनामों का ज्ञान नहीं भी होता उनको भी इस प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त ज्ञान हो जाता है।

दिनाकरण का कुछ हो या न हो लेकिन एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस न्यायिक व्यवस्था में क्या एकमात्र दिनाकरण ही बचा था जिसने महाभियोग चलाने लायक कारनामे किए थे? सर्वविदित है कि सर्वोच्च न्यायालय के 5–7 वरिष्ठतम जजों (कोलिजियम) ने, दिनाकरण के विरुद्ध पूरा हो हल्ला मचाने के बावजूद उसे पदोन्नत करके सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार को लिख दिया था। इस तरह की संस्तुति करने में कोलिजियम को तो रत्ती भर भी शर्म नहीं आई जबकि अपेक्षाकृत ज़्यादा बेशर्म एवं भ्रष्ट समझे जाने वाले राजनेताओं को इसे मानने में शर्म महसूस हुई और उन्होंने इसे रद्द कर दिया। क्या कोलिजियम में बैठे लोग किसी तरह से भी दिनाकरण से कम करके आंके जा सकते हैं? नहीं कदापि नहीं।

दरअसल शासक–शोषक वर्गों ने न्यायिक व्यवस्था का ढांचा ही इस तरह से बनाया है कि जिसमें प्रवेश ही केवल दिनाकरण जैसे लोग कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप किसी इक्का–दुक्का को छोड़ दें तो बाकी सभी दिनाकरण ही दिनाकरण भरे पड़े हैं। गाज़ियाबाद के ज़िला न्यायालय में कर्मचारियों का करोड़ों रुपए हड़पने के घोटाले में कितने ही हाईकोर्ट जजों के नाम उजागर हो चुके हैं, उनमें से एक तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शोभायमान हैं। ये महोदय उस वक्त गाजियाबाद के प्रशासनिक जज होते थे। पिछले दिनों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजों द्वारा

> **"जिस न्याय व्यवस्था में लाखों करोड़ों रुपए की फ़ीस लेकर कोई वकील न्याय दिलाने की बात करता हो तो वह व्यवस्था जन साधारण की हो ही कैसे सकती है? इतना ही नहीं न्याय देने का नाटक करने वाला जज भी, जज बनने से पहले व जज की नौकरी से हटने के बाद वकील हो जाता है और फ़ीस लेना जारी रखता है। जज की कुर्सी पर बैठा वकील यदि 'फ़ीस' लेता है तो उसे रिश्वत कहा जाता है।"**

15 लाख रुपए की रिश्वत वाला कांड खूब उछला था। इसमें न्यायपालिका पूरी तरह बेपर्दा हो चुकी थी। उस वक्त तक जो लेन–देन पर्दे के पीछे होता था, वह यकायक सार्वजनिक हो गया था। लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफ़र। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। धीरे–धीरे सब शांत हो गया और सभी लोग फ़िर से अपने अपने धंधे में जुट गए।

पूरी तरह से सड़–गल चुकी इस व्यवस्था में जनसाधारण का विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य मात्र से, इस व्यवस्था के पहरुए एवं शासक वर्ग के हितों के संरक्षक, निरंतर इसकी छवि को निखारने में प्रयत्नशील रहते हैं। छवि निखारने की इसी प्रक्रिया में यदा कदा किसी दिनाकरण, शामित मुखर्जी, रामास्वामी, निर्मल यादव तथा कोलकाता के सेन आदि का नाम बलि के बकरे की भांति उछाला जाता है, फ़िर धीरे–धीरे उसे बिना कोई सज़ा दिए जनता की नज़रों से ओझल कर दिया जाता है। यह सब नाटकबाज़ियां शासक वर्ग इसलिए करता व करवाता रहता है कि जनता जनार्दन उसकी इस व्यवस्था से खिन्न होकर अन्य विकल्पों की ओर न जाने लगें। यदि वे अन्य विकल्पों की ओर चले गए तो इनकी दुकानदारी ही फ़ेल हो जाएगी।

जिस न्याय व्यवस्था में लाखों करोड़ों रुपए की फ़ीस लेकर कोई वकील न्याय दिलाने की बात करता हो तो वह व्यवस्था जन साधारण की हो ही कैसे सकती है? इतना ही नहीं न्याय देने का नाटक करने वाला जज भी, जज बनने से पहले व जज की नौकरी से हटने के बाद वकील हो जाता है और फ़ीस लेना जारी रखता है। जज की कुर्सी पर बैठा वकील यदि 'फ़ीस' लेता है तो उसे रिश्वत कहा जाता है। अपनी इसी दुकानदारी को बनाए व चलाए रखने के लिए इन लोग़ों ने जजों की नियुक्ति का हथियार अथवा चुनाव एवं नियुक्ति प्रणाली पूरी तरह से अपने हाथ में रखी है और इसी का परिणाम है कि इस व्यवस्था में दिनाकरणों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और जब तक जनता जागरूक एवं संगठित होकर इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकती, दिनाकरण आते रहेंगे, जाते रहेंगे और जनता यूं ही तारीख पर तारीख लेती व लुटती पिटती रहेगी।